*जरा सोचिए, आपकी शादी के दिन चीज़ का एक चक्का उठाकर अलग रख दिया जाए, और आपके अंतिम संस्कार के दिन उसे परोसा जाए, तो वो कैसा दिखेगा? उसके स्लाइस बनाने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रुरत पड़ेगी और गले के नीचे उतारने के लिए तेज़ शराब, क्योंकि तब तक इसमें ढेरों झुर्रियाँ पड़ चुकी होंगी, रंग गहरा भूरा हो चुका होगा और दशकों तक चूहे और घुन इसका सेवन कर चुके होंगे। लेकिन यह चीज़ इतनी दुर्लभ होगी कि, कोई इसे काटना नहीं चाहेगा, क्योंकि जीवाश्म बन चुकी इस चीज़ का अर्थ है कि आपने एक लंबा जीवन जिया है। वैलडैनिविअर्स वैली के पहाड़ों पर बहुत ऊँचाई पर स्थित ग्रिमैंट्ज़ गांव में, ज़ाँ ज़ाक ज़ूफरी का घर उन अंतिम स्थानों में है जहाँ आपको इस विचित्र परंपरा के सबूत मिल जाएंगे। जैसे, अंत्येष्टि के दिन खाने के लिए उठाकर रखा हुआ चीज़ का चक्का। वैलडैनिविअर्स इस बात का उदाहरण है कि कैसे, ऊँचे -ऊँचे पहाड़ घाटियों व गाँवों को अलग-थलग कर देते हैं। जब स्विस एन्थ्रोपॉलजिस्ट, ईवॉन प्राइसवर्क सबसे पहले फील्ड वर्क के लिए यहाँ आईं तो उन्होंने अंत्येष्टि संबंधी अजीबोगरीब रिवाज़ देखे, जो प्राचीन मिस्र की याद दिलाते थे। सन् 1992 के अपने एक पेपर में उन्होंने लिखा, "विशेष प्रकार का माउन्टेन कथॉलसिज़्म देखकर हम चकित थे।" उन्होंने बताया कि पिछली सदियों में, इन रिवाज़ों को देखकर यहाँ आने वाले लोग स्तंभित थे और उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को "असभ्य व बर्बर" करार दिया था। ग्रिमैंट्ज़ गांव में ज़ूफरी के घर के तहखाने में, अंत्येष्टि के समय खाई जाने वाली चीज़ के कई चक्के रखे हैं। उसने बताया कि उसका परिवार इनके बारे में भूल चुका था, फिर 1944 में जब उसकी दादी की मृत्यु हुई तब ज़ूफरी के पिता को अपनी माँ के तहखाने में चीज़ के दो बहुत पुराने चक्के मिले, जिन पर सन् 1870 उकेरा हुआ था। ज़ूफरी के पिता ने इन्हें प्रिज़र्व करने का निर्णय लिया। उसके बाद से ज़ूफरी के परिवार ने चीज़ जमा करनी शुरु कर दी है। अंत्येष्टि के भोज की तैयारी के बजाय यह परिवार बड़ी निष्ठा के साथ लुप्त हो रही परम्परा के सबूतों को प्रिज़र्व कर रहा है।*

# मार्बल एवं ग्रेनाइट व्यवसायी सुमेरराम माली के पास अफीम का दूध मिला?

## मार्बल व्यापारी से रूपए मांगने के मामले में एन.सी.बी. और पुलिस आमने-सामने

जोधपुर, 24 जून (कासं)। जोधपुर शहर के मार्बल एवं ग्रेनाइट व्यवसायी सुमेरराम से एनसीबी अधिकारी निरीक्षक, थानेदार एवं कांस्टेबल द्वारा 30 लाख रूपए मांगे जाने के मामले में अब जांच की दिशा पूरी तरह एफएएसल रिपोर्ट पर टिक गई है। जिस कार में अफीम होना बताया गया है, उसकी एफएसएल जांच की गई है।

इसी जांच में पुष्टि हो पाएगी कि कार में अफीम थी या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि एनसीबी के अधिकारी सुमेरराम को पाली में कार सहित पकड़ने के बावजूद आठ दस घंटे लेकर घूमते रहे और बाद में जोधपुर के अशोक उद्यान के पीछे आकर कार में बैठे रहे।

कथित रूप से सामने आई ऑडियो वॉयस के सैम्पल को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही पता लगेगा कि माजरा क्या है। आज दूसरे दिन भी एनसीबी ने सुमेरराम को पूछताछ के लिए बुलाया।

प्रकरण की तफ्तीश कर रही एसीपी प्रतापनगर प्रेमधणदे ने बताया कि एनसीबी के आसूचना अधिकारी निरीक्षक खींयाराम, कनिष्ठ आसूचना

■ **वॉयस सैंपल और एफ.एस.एल. रिपोर्ट पर टिकी है पुलिस की जांच।**

अधिकारी थानेदार भगवान सहाय मीणा एवं कांस्टेबल भागीरथ से पूछताछ की गई, लेकिन कहानी में कहीं भी यह सच्चाई नहीं लग रही कि मार्बल एवं ग्रेनाइट व्यवसायी सुमेरराम माली के पास से अफीम का दूध मिला है। उसके पास से आठ से दस किलो दूध होना बताया गया। इधर एनसीबी ने आरोप पुलिस पर मड़ दिया कि पुलिस ने इस अफीम दूध को खुर्दबुर्द कर डाला।

पुलिस ने मौका स्थल अशोक उद्यान के पीछे पीड़ित के परिजन से पांच लाख रूपए मंगवाएं वो जब्त कर लिए गए थे। इन लोगों ने पीड़ित मार्बल व्यवसायी से 30 लाख की डिमांड की थी।

एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई में मौके पर ही होती है और वहां से माल बरामदगी दर्शायी जाती है, जबकि ये लोग मौके से कार सहित पीड़ित सुमेरराम को साथ लेकर आए मगर उसमें माल नहीं था। एनसीबी अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि यह लोग रिसीवर को पकड़ने के लिए सुमेरराम को साथ लेकर अशोक उद्यान के पीछे कार में बैठे थे। पाली टोल नाके पर उसे उठाया गया तो अशोक उद्यान के पीछे लाकर क्यूं बिठाया गया। माल बरामदगी होनी थी तो वक्त घटना पाली टोल नाके पर ही बताते मगर ऐसा नहीं हुआ और वे सुमेरराम को आठ दस घंटे लेकर घूमते रहे।

यह भी विदित रहे कि मंडोर पोस्ट ऑफिस के पीछे रहने वाले कुलदीप माली पुत्र सोहनसिंह माली ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसका भाई सुमेरराम काम के सिलसिले में राजसमंद गया था।

जहां से वह सोमवार को लौट रहा था कि पाली टोल नाके पर उसे तीन जनों ने रोक दिया। यह लोग खुद को एनसीबी वाला बताते हुए उसके भाई को मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त होने का कहकर 30 लाख रूपयों की डिमांड करने लगे। इसमें एक ने खुद को एनसीबी का निरीक्षक खींयाराम, दूसरे सब इंस्पेक्टर भगवान सहाय मीणा एवं कांस्टेबल भागीरथ होना बताया था।

उसे मादक पदार्थ की तस्करी में फंसाने की धमकी देने लगे। इस पर बाद में परिवादी ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से संपर्क साधा और केस दर्ज करवाया गया। घटना में कुलदीप पंवार माली की तरफ से एनसीबी के निरीक्षक खींयाराम, सब इंस्पेक्टर भगवान सहाय एवं कांस्टेबल भागीरथ के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया।

## डी.आर.डी.ओ. की नई मिसाइल

नई दिल्ली, 24 जून (वार्ता)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) और नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की वर्टिकल लांच मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर डी.आर.डी.ओ. और नौसेना तथा उद्योग जगत को बधाई देते हुए कहा है कि इससे नौसेना के युद्धपोतों की हवाई खतरों से निपटने में मारक क्षमता बढ़ेगी।

यह परीक्षण शुक्रवार को नौसेना के युद्धपोत द्वारा ओडिशा स्थित चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया। परीक्षण के दौरान हवा में तेज गति से आ रहे लक्ष्य पर निशाना साधा गया जो पूरी तरह सटीक रहा।

डी.आर.डी.ओ. और नौसेना के अधिकारी मिशन पर निरंतर नजर रखे हुए थे जिसने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया।

# दिल्ली हाई कोर्ट ने इण्डियन ओलंपिक चीफ बत्रा को सभी कामकाज छोड़ने के आदेश दिये

## कोर्ट के अनुसार आई.ओ.ए. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल खन्ना एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे

नई दिल्ली, 24 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेल प्रशासक नरिंदर बत्रा को इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन (आई.ओ.ए.) के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा की अवकाश पीठ ने ओलंपियन और हॉकी विश्व कप विजेता असलम शेर खान द्वारा दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया। खान की ओर से पेश हुए वकील वंशदीप डालमिया ने कहा, "अदालत ने आदेश दिया कि नरिंदर बत्रा को तत्काल प्रभाव से आईओए अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देना चाहिए।"

उन्होंने बताया, "यह अवमानना थी क्योंकि बत्रा इस अदालत के पहले के आदेश के बावजूद आईओए अध्यक्ष के रूप में बैठक में भाग ले रहे थे।"

उन्होंने बताया, "अदालत ने यह भी कहा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल खन्ना आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे।"

बत्रा को गत 25 मई को आईओए प्रमुख के पद से हटा दिया गया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्य के पद को रद्द कर दिया था, जिसके सौजन्य से उन्होंने 2017 में शीर्ष निकाय चुनाव लड़ा और जीता था। बत्रा ने हॉकी इंडिया के प्रतिनिधि (आजीवन सदस्य) के रूप में आईओए अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 25 मई को हॉकी इंडिया में 'आजीवन सदस्य' का पद खत्म किये जाने के बाद वरिष्ठ खेल प्रशासक बत्रा को आईओए अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

बत्रा ने हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य के रूप में ही 2017 में आईओए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीता था।

खान ने कहा, " बत्रा पिछले महीने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आईओए अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। इसलिए, मुझे अदालत की अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है, यह एक राष्ट्रीय निकाय है और सभी को अदालत के फैसले का पालन करना होगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।"

खान की याचिका पर न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ पिछले महीने फैसला दिया था, "हॉकी इंडिया का प्रशासनिक ढांचा, आजीवन अध्यक्ष और आजीवन सदस्यों के कारण गलत और अवैध ढंग से गठित है।

## क्रैश टैस्ट

नई दिल्ली, 24 जून (वार्ता)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत-एन.सी.ए.पी. (नये कार आंकलन कार्यक्रम) शुरू करने संबंधी जी.एस.आर. अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश में वाहन को क्रैश टेस्ट (टक्कर परीक्षण) में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। सरकार की योजना के तहत अब भारत में निर्मित कारों को क्रैश टैस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि

■ **अब सभी भारतीय कार मॉडल्स की सेफ्टी रेटिंग भारत में ही दी जायेगी।**

अपने ही देश में क्रैश टैस्ट करवाकर कारों को सैफ्टी रेटिंग दी जायेगी।

गडकरी ने शुक्रवार को इस संबंध में सिलसिलेवार ट्वीट कर बताया कि भारत- एन.सी.ए.पी. सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में ओ.ई.एम. (मूल उपकरण निर्माता) के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए एक उपभोक्ता- केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा, जिससे ग्राहक स्टार- रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का चयन कर सकेंगे।

# मां ही बनी ढाई माह की बच्ची की दुश्मन

## पिता ने बच्ची की जान बचाने के लिए सदर थाना चूरू में गुहार लगाई

चूरू, 24 जून (का. सं.)। गाजसर निवासी प्रकाश नाथ ने सदर थाना में एक लिखित रिपोर्ट देकर अपनी ढ ाई माह की बच्ची की जान बचाने की गुहार लगाई है। सबसे दु:खद बात यह है कि बच्ची की मां ही उसे मारने पर उतारू है।

प्रकाश नाथ पुत्र चावल नाथ ने सदर थाना में दर्ज रिपोर्ट में लिखा है कि उसका विवाह सवा साल पहले लाडनूं निवासी मोक नाथ की पुत्री कृष्णा से हुआ था। तीन चार माह पहले मोक नाथ

■ **मां ने बच्ची को उल्टा लटकाए हुए एक वीडियो बच्ची के पिता को भेजा और बच्ची को जान से मारने की धमकी दी।**

और अन्य लोग आए और कहा कि कृष्णा के खून की कमी है, उसके पेट में पल रहे बच्चे को गिरा दो। पर उसने गर्भपात नहीं करवाया और कृष्णा को चूरू के शिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसे खून भी चढ़ाया । उसके बाद वह स्वस्थ हो गई। इस दौरान मोक नाथ ने अपनी छोटी बेटी का विवाह प्रकाश नाथ के छोटे भाई से करने की बात कही। बदले में पचास हजार रुपए मांगे। उसके पिता चावल नाथ ने रुपए मोक नाथ को दे दिए। मोकनाथ और अन्य कृष्णा को लेकर चले गए।

दर्ज रिर्पोट के अनुसार प्रकाश नाथ के विवाह से पहले भी पचास हजार रुपए और जेवर आदि मोकनाथ को दिए गए।

अभी चार पांच दिन पहले मोकनाथ ने फोन करके एक लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर नन्हीं बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। और दो दिन पहले बच्ची के पांव पकड़कर उल्टा लटकाए जाने के वीडियो भेजे। वीडियो में ।बच्ची की मां ही यह क्रूरता करती हुई नज़र आ रही है।

## स्कूल कॉलेजों ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

स्तर के नीचे का पुलिसकर्मी ना हो। इसके अलावा थाना प्रभारी गश्ती दल में शामिल पुलिसकर्मियों के नाम रोजनामचे में दर्ज करें, ताकि दल की जिम्मेदारी तय की जा सके।

आयोग ने कहा कि संभव हो सके तो इस दल में एक महिला पुलिसकर्मी को शामिल किया जाए, ताकि पीड़ित छात्राएं गलत व्यवहार की सूचना महिला पुलिसकर्मी को दे सकें। वहीं इस संबंध में थानाधिकारी शाला प्रधानों के साथ समन्वय करें, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। आयोग ने यह आदेश गत दिनों शहर की महारानी कॉलेज के बाहर कार सवार एक युवक की बेहुदा हरकतों का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से आयोग को बताया गया कि आरोपी युवक कार चालक की नौकरी करता था। मामले में उसे शांतिभंग में पकड़ा गया था। वहीं डीसीपी की ओर से आयोग में गत 14 जून को भेजी रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी मोहम्मद युसुफ मंसूरी के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप प्रमाणित है और जल्द ही उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाएगा। इस पर आयोग ने डीजीपी को निर्देश देते हुए प्रकरण को निस्तारित कर दिया है। दूसरी ओर आयोग ने जैसलमेर में महिला से मिलने आए पैराटीचर को निर्वस्त्र कर उसके बाल काटने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही आयोग ने जैसलमेर एसपी को कहा है कि वह इस घटना का वीडियो तुरंत सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई करें और पन्द्रह दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करे।

## 'अग्निपथ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

हुई फिजीकल, मैडिकल व लिखित परीक्षा के नतीजों की प्रतीक्षा कर हैं। अपने खाचे के लिए कर्ज ले रहे है। क्या सरकार ने उनकी पीड़ा के बारे में सोचा है। सिंह ने कहा, "हम अग्निपथ योजना के तुरंत रोल बैक की मांग करते है क्योंकि यह राष्ट्रपति के खिलाफ होने के साथ युवाओं के भविष्य के भी विरूद्ध है। प्रधानमंत्री की चुप्पी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं का अपमान है।"

# देश के "इंन्टैलिजैन्स सैट-अप"...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

एस. अधिकारी हैं और फिलहाल दिल्ली में इन्टैलीजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक हैं।

सामंत कुमार गोयल को रिसर्च एण्ड एनालैसिस विंग (रॉ) के प्रमुख के रूप में एक वर्ष के कार्यकाल का एक्सटैंशन दिया गया है। रॉ भारत की फॉरेन इन्टैलीजैंस एजेंसी है।

यह एक संयोग ही है कि दिनकर गुप्ता के बाद गोयल पंजाब कैडर के दूसरे ऐसे आई.पी.एस. अधिकारी हैं जिन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। गुप्ता को एन.आई.ए. प्रमुख बनाया गया था। सामन्त गोयल का सेवाकाल इस माह के अन्त में समाप्त हो रहा था।

कैबिनेट अपाइन्टमैंट कमेटी ने इन्टैलीजेंस ब्यूरो (आई.बी.) के अगले निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका की नियुक्ति की भी पुष्टि की। हिमाचल प्रदेश कैडर के वर्ष 1998 के आई.पी.एस. अधिकारी डेका 30 जून को पदभार ग्रहण करेंगे और दो वर्ष तक इस पर बने रहेंगे।

सामंत कुमार गोयल को जून 2019 में अनिल धस्माना के स्थान पर रॉ का सचिव बनाया गया था।

डेका वर्ष 1988 बैच के आई.पी.एस. अधिकारी है और उत्तर-पूर्वी भारत के मामलों में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है। वर्ष 2019 में हुए सी.ए.ए. विरोधी दंगों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हे असम की जिम्मेदारी दी थी। आई.बी. में फिलहाल उनसे सीनियर चार अधिकारी है।

# विद्रोहियों से लड़ने के लिये मु.मंत्री उद्धव...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

स्पाइसजैट विमान तैयार खड़ा था। राज्य के करीब 12.30 बजे, शिंदे तथा उनके साथ वाले विधायकों को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए, तीन लग्जरी बसें होटल पहुंच गयी और आगे गुवाहाटी तक की यात्रा सम्पन्न हुई।

इस पूरे प्रकरण की बढ़ती जा रही आलोचना से लोगों का ध्यान हटाने के उद्देश्य से, असम के मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्वा सरमा ने महाराष्ट्र के विद्रोही शिव सेना विधायकों के अपने राज्य में रुके होने की आलोचना को कम करने की कोशिश करते हुए आज कहा कि उनके राज्य में तो सभी "पर्यटकों" का स्वागत है।

सरमा ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति से उन्हें कोई लेना देना नहीं हैं, जहां शिवसेना के 38 विधायकों के विद्रोह के बाद, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न फ्लाइट्स से यहां आये ये सब विद्रोही विधायक यहां एक होटल में ठहरे हुए हैं।

यहां पार्लियामेंट कॉम्प्लैक्स में अपना नामांकन पत्र पेश करने जा रही एन.डी.ए.की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू के साथ जाते समय, उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया,"कुछ लोग असम में आये हैं। उन्होंने होटल बुक किये थे। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। आप लोग भी आइये, इससे असम की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। इसके जरिए, असम के पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल रहा है।

अब तक, सेना ने 16 विद्रोही विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे की टीम ने आरोप लगाया है कि "दोषी विधायक" पार्टी में शंका एवं अविश्वास पैदा करने तथा सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना ने विद्रोही विधायकों पर आरोप लगाया कि वे दलबदल की संवैधानिक "पाप" कर रहे हैं।

सेना विधायक दिलीप लांडे को आज गुवाहाटी की एक होटल में देखा गया। एकनाथ शिंदे कैम्प के विधायकों की संख्या के 50 से अधिक होने की उम्मीद है क्योंकि और विधायक गुवाहाटी पहुंच सकते हैं।

इस बीच, एकनाथ शिंदे कैम्प के एवं भाजपा के निकट माने जाने वाले दो निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि ज़िरवाल को पद से हटाने की मांग की है।

ज़िरवाल, शरद पवार की नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन. सी. पी.) से हैं। दोनों विधायकों महेश बालदी और विनोद अग्रवाल ने अरूणाचल प्रदेश के एक केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का जिक्र करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वह शिवसेना के विद्रोही विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराने को लेकर अपना निर्णय ना दें।

विधानसभा उपाध्यक्ष ने इस बीच विधायक अजय चौधरी को राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उपाध्यक्ष के आज उन विद्रोही विधायकों को नोटिस भेजने की उम्मीद है। जिनके विरुद्ध पद से हटाए जाने की याचिकाएं दायर की जा चुकी है।

सूत्रों ने बताया कि विद्रोही विधायक एक बार नोटिस जारी होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि एकनाथ शिंदे कैम्प के अपनी पार्टी और पार्टी सिम्बल के दावे को लेकर चुनाव आयोग जाने की उम्मीद है।

जहां कानूनी लडाई की अटकलें लगाईं जा रही है, वहीं राज्यपाल की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। अब यह देखना कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शीर्ष अदालत के कई निर्णयों को ध्यान में रखकर क्या फ्लोर टैस्ट का आदेश देते हैं या कोई अन्य कदम उठाते हैं।

आज दिन की शुरुआत में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार गठबंधन के नेता शरद पवार को एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा धमकाया गया है। राउत ने दावा किया कि "वह महाराष्ट्र के पुत्र हैं। वे उन्हें धमका रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह क्या आपने सुना? आपका मंत्री शरद पवार को धमका रहा है क्या आप ऐसी धमकियों का समर्थन करते हैं ? महाराष्ट्र जानना चाहता है।"

राउत ने एकनाथ शिंदे कैम्प के शक्ति प्रदर्शन को भी फीका बताया। शिवसेना नेता राउत को यह कहते हुए उद्धत किया गया कि "उनके नंबर्स सिर्फ कागजों पर हैं। शिवसेना एक महासमुद्र है, जिसमें ऐसी लहरें आती और जाती हैं।"

शिंदे जो यह दावा कर चुके हैं कि उनका धड़ा ही "वास्तविक शिवसेना" है, वे 37 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला एक पत्र राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव को भेजकर कहा है कि उनकी नियुक्ति एक विधायक दल के नेता के रुप में की जाए।

## वी.सी. रिमोट...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

ने ई-उद्घाटन कर इसकी विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य पीठ जोधपुर से जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस दिनेश मेहता सहित सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीसी के जरिए शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी ने बताया कि एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 14 हजार मरीज आते हैं। इस दौरान चिकित्सकों को विभिन्न प्रकरणों में अपने बयान दर्ज कराने के लिए निचली अदालतों में जाने से इनका इलाज प्रभावित होता है। अब वीसी रिमोट पॉइंट की स्थापना होने से न सिर्फ चिकित्सकों का समय बचेगा, बल्कि इस समय का सदुपयोग कर मरीजों का इलाज कर सकेंगे। वहीं सीजे एसएस शिंदे ने कहा कि कोविड के बाद से न्यायिक कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रदेश के लगभग सभी अधीनस्थ अदालतों में वीसी के लिए संसाधन मुहैया कराए जा चुके हैं और स्टाफ को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। सीजे ने वीसी से जुड़े सभी न्यायाधीशों को मामले और गवाह की परिस्थितियों को देखते हुए वीसी रूल्स के तहत अधिक से अधिक गवाहों के बयान वीसी के जरिए लेने के निर्देश भी दिए।

# सुप्रीम कोर्ट ने एस.आई.टी...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कपिल सिब्बल ने बैंच से कहा था कि उनके कथन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के कथित रुप से लिप्त होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोदी तो एक बहुत बड़ी साजिश के निर्गम बिन्दु (इश्यू) थे तथा एस.आई.टी. ने उस साजिश की छानबीन नहीं की थी। जाफरी के साथ उनके सहायक एक सोशल ऐक्टिविस्ट तथा वकील तीस्ता सीतलवाड़ भी थीं।

इस फैसले में एक पुराने केस का भी परीक्षण किया गया है, तथा गुजरात कैडर के डी.आई.जी.रैंक के एक आई.पी.एस.अधिकारी संजीव भट्ट (58) द्वारा लगाये गये आरोपों पर भी विचार किया गया है। आई.पी.एस. भट्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद, एक पुराने केस, जिसमें उनके अधीन पुलिस हिरासत में एक मौत हो गई थी, के सिलसिले में उन्हें उम्रकैद की सजा हो गयी थी। वे दंगों के दौरान, अहमदाबाद में डिप्टी कमिश्नर (कम्यूनल) थे तथा उन्होंने दावा किया था कि वे मोदी द्वारा बुलाई गई उन मीटिंगों में उपस्थित थे, जो दंगों से निबटने के सिलसिले में बुलाई गईं थी।

फैसले में कहा गया है कि वरिष्ठ वकील राजू रामचन्द्रन, जो अदालत की सहायता के लिए "न्यायमित्र" नियुक्त किये गये थे, ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "आई पी सी की धारा 153 ए (1) (ए) तथा (बी), 166 एवं 505 (2) के तहत पृथम दृष्टया, मोदी के खिलाफ केस बनता है, लेकिन यह तो सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत को तय करना है कि किसी या सभी अपराधों या अन्य किसी अपराध के सिलसिले में उन्हें (मोदी) को तलब किया जाना है अथवा नहीं।"

रामचन्द्रन ने अदालत में प्रस्तुत किये गये अपने मसौदे में यह नहीं कहा था कि "इस बात की संभावना नजर नहीं आती कि एक सेवारत पुलिस अधिकारी (भट्ट), बिना किसी आधार के, नरेन्द्र मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगायेगा।... यह स्वीकार करना मुश्किल है कि भट्ट का बयान किसी कारण विशेष से प्रेरित था क्योंकि उनके कैरियर से संबंधित मुद्दों पर उन्हें राज्य सरकार के साथ अपना हित भी दिखाई दे रहा था, और केवल इस आधार पर ही, उन पर अविश्वास करना भी उचित नहीं होगा कि अन्य अधिकारी भट्ट के बयानों का समर्थन नहीं कर रहे थे तथा बयान देने में हुई देर अविश्वास का ठोस आधार नहीं मानी जा सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एस.आई.टी. ने एक रिपोर्ट और प्रस्तुत की थी, जिसमें "न्यायमित्र" के निष्कर्षों को ध्यान रखा गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 25.07.2011 को सौंपी थी। अदालत में 12.09. 2011को एस.आई.टी.द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट ने, जांच पूरी होने के बाद अदालत को संतुष्ट कर दिया था। फैसला बहुत लम्बा है क्योंकि अदालत ने दंगों से संबंधित सारे तथ्यों एवं घटनाओं को इसमें शामिल किया है। ज्ञातव्य है कि इन दंगों में अधिकांशत: अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या तो मारे गये थे या उनकी संपत्तियां नष्ट कर दी गयी थीं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908